बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/अ0–01/2015 6610 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.08.15

FAX
E-Mail

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– दाल एवं दलहन की होर्डिंग, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि हाल के महीनों में दाल एवं दलहन की कीमतों मे भारी वृद्धि की सूचनाऐं प्राप्त हो रही हैं। ऐसी स्थिति में दाल–दलहन की होर्डिंग, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में ज्ञातव्य हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या–5896 दिनांक– 29.07.2015 के द्वारा दाल एवं दलहन को दिनांक– 30.09.2015 तक के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्गत बिहार राज्य व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची–1 पार्ट–ई में अवधि विस्तार किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–5670 दिनांक– 18.12.2009 के द्वारा दाल एवं दलहन का स्टॉक का निर्धारण किया जा चुका है। इसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 750 (सात सौ पचास) क्वींटल तथा अन्य क्षेत्रों में 500 (पाँच सौ) क्वींटल की सीमा से अधिक दाल एवं दलहन का स्टॉक कोई व्यापारी नहीं रखेगा तथा प्राप्त स्टॉक 30 दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रखेगा।

अतएव अनुरोध है कि दाल एवं दलहन से संबंधित इन प्रावधानों के आलोक में इन वस्तुओं की होर्डिंग, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के विरूद्ध अभियान चलाने तथा कृत कार्रवाई की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

19/8/2015
सरकार के सचिव।

D:\2012\sec-04\vrvidh.doc anup